2019/00372

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बयाना

क्रमांक / राजस्व / 24 / 133 दिनांकः 23/2/24

तहसीलदार,
बयाना।

विषयः—प्रार्थना पत्र धारा 136 उनवानी अशर्फी आदि बनाम तहसीलदार बयाना में निर्णय दिनांक 9/2/24 की पालना बाबत

उपरोक्त विषयान्तर्गत उक्त उनवानी प्रकरण का निर्णय न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 09/2/24 को किया जा चुका है। निर्णय की छायाप्रति पत्र के साथ संलग्न कर भिजवायी जा रही हैं। निर्णय विरूद्ध अथवा निर्णय में अंकित खसरा नम्बरान बाबत किसी दीगर न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो नियमानुसार निर्णय की पालना करें।

संलग्न—उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
बयाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Ameelal Yadav
Date: 2024.03.05 13:23:29 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत .... उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम .... बयाना ....

.... अंगूरी आदि .... बनाम .... तहसीलदार बयाना ....

फ़ेहरिस्त मुकदमा .... प्रा0पत्र 136 LR Act .... नं. .... सन ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
09/02/24	प्रार्थीया अंगूरी आदि ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR. Act के तहत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीयागण का नया खाता सं0 (क) 02 वाके ग्राम सिडावली तहसील बयाना स्थित है। खाता संख्या 02 मे अंकित काश्तकार का प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार काश्त है। सौलर मौहर कर्मचारियों ने सहवन वश से जमाबन्दी मे प्रार्थीयागणो की जाति गुजर के बजाय गुसाई दर्ज कर दी है। उक्त गलत इन्द्राजी से प्रार्थीयागणों को अपने हक्की अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीयागणो की जाति गुसाई के स्थान पर गुजर शुद्ध किए जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रार्थना पत्र अनुसार तहसीलदार बयाना से रिकार्ड व मौके की रिपोर्ट चाही गई। प्रकरण मे तहसीलदार [illegible] के पत्रांक LR/2021/246 [illegible] रिपोर्ट मे प्राप्त हुई। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया कि ग्राम सिडावली के ख0नं0 2278/3.55, 2315/4.13 पर वर्तमान जमाबन्दी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ameelal Yadav
Date: 2024.03.05 13:23:29 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	सम्वत 2076-79 में प्रार्थीयान अंगूरी पत्नी डोरीराम व शान्ति पुत्री डोरीराम की जाति गुसाईं दर्ज हैं जो कि साबिक ख०नं० 877 रकबा 461/3 बीघा है वो है। ग्राम जिडावली राजस्व ग्राम बागरौन से बना है, ग्राम नागरौन के नामान्तरण बागरौन से नामान्तरण संख्या 205 विरासत में प्रार्थीयान अंगूरी पत्नी डोरीराम व शान्ति पुत्री डोरीराम की जाति गूजर दर्ज हुई है। हमने विद्वान एडवोकेट प्रार्थी को सुनी। एडवोकेट प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किए जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी को सुनने के उपरान्त पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2076-2079, ग्राम बागरौन के नामान्तरण संख्या 205 एवं तहसीलदार बयाना की रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र प्रार्थीयागण स्वीकार योग्य है। आदेश – अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीयागण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार बयाना को आदेशित किया जाता है कि ग्राम जिडावली तहसील बयाना के नवीन खाता संख्या 02 में वर्णित आराजीयात में अंगूरी पत्नी डोरीराम एवं शान्ति पुत्री डोरीराम की जाति गुसाईं के स्थान पर गूजर शुद्ध करें। ... ... की प्रति तहसीलदार बयाना को भिजवाई जावे। मुकदमा फैसल होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील शामिल दफ्तर हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ameelal Yadav
Date: 2024.03.05 13:23:29 IST
Reason: SelfAttested